तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
8/7/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि ग्राम खिंवाड़ा, तहसील रानी के खसरा नंबर 528 रकबा 1.66 हैक्टेयर व खसरा नंबर 529 रकबा 1.36 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम चाव दोयम अप्रार्थीगण की खातेदारी कृशि भूमि है। उक्त भूमि पर खातेदारान द्वारा बिना रूपातंरण के प्लॉटिंग कर मुडिया सड़क बनाकर गैर–कृषि प्रयोजन उपयोग में लिये जाने से पटवारी हल्का, खिंवाड़ा की मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, रानी ने बहैसियत भूमिधारी उक्त प्रार्थना–पत्र पेश कर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल के बावजूद अप्रार्थीगण आज दिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे हैं। जिससे इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम खिंवाड़ा, तहसील रानी के खसरा नंबर खसरा नंबर 528 रकबा 1.66 हैक्टेयर व खसरा नंबर 529 रकबा 1.36 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम चाव दोयम कृषि भूमि है, जबकि पटवारी हल्का खिंवाडा की मौका रिपोर्ट अनुसार तथा प्रस्तुत मौके के फोटो चित्रों के अनुसार वर्णित भूमि बिना रूपांतरण किये मौके पर प्लॉटिंग कर मुडिया सड़क बना दी गई है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खिंवाड़ा के खसरा नंबर 528 रकबा 1.66 हैक्टेयर व खसरा नंबर 529 रकबा 1.36 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम चाव दोयम को राजकीय सिवाय चक घोषित किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, रानी आदेश की पालना मय भूमि राजकीय सिवाय चक दर्ज कर कब्जा राज लिया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। आदेश प्रति तहसीलदार, रानी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी	